

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-943/2014
 संस्थित दिनांक-16.10.2014
 फाईलिंग नं.-234503012052014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

नारायण उर्फ नरेन्द्र पिता चन्द्राम उर्फ भानू विश्वकर्मा, उम्र 30 साल,

निवासी ग्राम चिचगांव, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-28/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(बी) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-02.10.2014 को समय 05.30 बजे ग्राम डोंगरिया सदई रोड जनैश पटले के किराना दुकान के सामने अन्तर्गत थाना बिरसा में लोकस्थान पर मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552 बी(1), दिनांक-22.11.1974 के उल्लंघन में प्रतिबंधित आकार का एक लोहे का छुरा जिसकी लम्बाई 01 बीता(बालिश) एवं फल की चौड़ाई 02 उंगल मुठ की लम्बाई करीब 06 उंगल को बिना अनुज्ञा पत्र अथवा अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे हुये पाए गए।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बिरसा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राजधर दुबे हमराह स्टाफ के साथ इलाका भ्रमण हेतु रवाना हुआ था, तभी उसे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डोंगरिया में एक व्यक्ति वारदात करने के उद्देश्य से हाथ में छुरा लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर वह मौके पर पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। गवाह लखन एवं गणेश के साथ घेराबंदी कर उसे पकड़ा और उससे उसका नाम पूछा तो आरोपी ने अपना नाम नारायण उर्फ नरेन्द्र बताया। आरोपी के पास छुरा रखने का लायसेंस पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना बताया, तब मौके पर आरोपी से निषेधित प्रकृति का छुरा जप्त किया गया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर थाने लेकर आया गया। आरोपी का

कृत्य आयुध अधिनियम की धारा-25(बी) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अपराध क्रमांक-128/14, धारा-25 आयुध अधिनियम दर्ज की जाकर, शेष विवेचना की गई। विवेचना पश्चात् चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3- आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा-25(बी) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में अपराध अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-02.10.2014 को समय 05.30 बजे ग्राम डोंगरिया सदई रोड जनैश पटले के किराना दुकान के सामने अन्तर्गत थाना बिरसा में लोकस्थान पर मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552 बी(1), दिनांक-22.11.1974 के उल्लंघन में प्रतिबंधित आकार का एक लोहे का छुरा जिसकी लम्बाई 01 बीता(बालिश) एवं फल की चौड़ाई 02 उंगल मुठ की लम्बाई करीब 06 उंगल को बिना अनुज्ञा पत्र अथवा अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे हुये पाए गए ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन साक्षी राजधर दुबे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-02.10.2014 को पतासाजी हेतु रवाना हुआ तब उसे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डोंगरिया में रमेश पटेल की किराना दुकान के सामने नारायण हाथ में चाकू लेकर लोगों को डरा रहा है। मौके पर आरोपी हाथ में चाकू लिये हुए था, इसलिए आरोपी से चाकू जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाहों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उसने रवानगी एवं वापसी के संबंध में रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा तैयार किया था। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 लेख की थी, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

उक्त घटना का मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। घटना का रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत किया है, जो प्रदर्श पी-5 है। प्रकरण में जप्तशुदा चाकू आर्टिकल ए-1 है, जिसके फल की लंबाई एक बीता, चौड़ाई दो उंगल तथा मुठ की लंबाई करीब 6 अंगुल थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि छुरे एवं चाकू में अंतर होता है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-1 एवं 2 की कार्यवाही थाने पर बैठकर की थी और गवाहों के हस्ताक्षर कोरे कागजो पर करवाए थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि मौके से आरोपी से चाकू जप्त नहीं किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को उसके पास नापने के लिए टेप नहीं था, इसलिए उसने जप्तशुदा चाकू की लंबाई, चौड़ाई नहीं नापी थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक में चाकू की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई उसने इंच में नहीं लिखी है।

6— अभियोजन साक्षी जनैश पटले (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2014 की शाम के लगभग 04.30—05.00 बजे उसकी दुकान ग्राम डोंगरिया की है। उसकी दुकान से आरोपी ने सामान लिया और जब उसने पैसे मांगे तो आरोपी ने कहा कि वह बिरसा थाने का पुलिसवाला है। मौके पर उपस्थित लखन ने थाने पर फोन लगाया तो आरोपी ने उसे मारने के लिए आर्टिकल ए की तलवार निकाल ली, तब उसने गांववालों के साथ आरोपी को पकड़ लिया फिर डेढ—दो घंटे के पश्चात् पुलिस आई तो आरोपी से आर्टिकल ए जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी के पास तलवार रखने का कोई लायसेंस नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी से छुरी के लायसेंस के विषय में पुलिस ने पूछताछ नहीं की। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मौके पर उसके सामने आर्टिकल ए का चाकू जप्त नहीं किया गया था। साक्षी यह भी स्वीकार किया कि उसने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2, मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे।

7— अभियोजन साक्षी लखन टेम्भरे (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व की है। आरोपी किराना दुकान में पैसे नहीं दे रहा था और स्वयं को पुलिसवाला बता रहा था,

इसलिए उसने थाना बिरसा में फोन किया था। जब थाने फोन लगाया तो आरोपी आर्टिकल ए की छुरी निकालकर मारने की बात करने लगा, तब आरोपी को उसने पुलिस के आते तक पकड़ रखा। पुलिस ने आरोपी से आर्टिकल ए की छुरी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना 2-2:30 बजे की है और पुलिस लगभग 4 बजे आई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने पुलिस को फोन किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने के बाद आर्टिकल ए की छुरी जप्त नहीं हुई थी। साक्षी ने कहा है कि आरोपी को दुकान पर छुरी के साथ पकड़ कर रखा था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1, नजरीनक्शा प्रदर्श पी-3 पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किये थे।

8— अभियोजन साक्षी राजकुमार चौधरी (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को आरोपी ने किराना दुकान से सामान लिया और जब जनेश ने आरोपी से सामान के पैसे मांगे तो उसने कहा कि वह पैसे नहीं देगा। आरोपी ने कहा कि वह पुलिसवाला है। इस बात पर उसने बिरसा थाना फोन लगाया, तब मौके पर पुलिस आई थी। पुलिस ने जब आरोपी की जांच की तो उसके पास से छुरा निकला। अभियोजन साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी पर एक चोरी का अन्य मामला दर्ज किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी को छुरा लेकर घूमते समय वह नहीं था।

9— आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(बी) का अपराध किये जाने का अभियोग है। यह अपराध निषेधित प्रकृति के हथियार को अपने पास बिना अनुज्ञप्ति के रखे होने से प्रमाणित होता है। आरोपी द्वारा किया गया अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने के लिए आरोपी के आधिपत्य से मौके पर ही निषेधित प्रकृति के हथियार की जप्ती युक्त संदेह से परे अभियोजन को प्रमाणित करना चाहिए। प्रकरण में विवेचक राजधर दुबे के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर वह मौक पर पहुंचा

था, तब उसने आरोपी से आर्टिकल ए की जप्ती की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने जप्तशुदा आर्टिकल की टेप से नाप नहीं की थी जिससे की आर्टिकल ए की निषेधित प्रकृति के हथियार होने की धारणा नहीं की जा सकती। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 में आर्टिकल ए के आकार का विवरण इस प्रकार है कि छुरी की लम्बाई 01 बीता(बालिश) एवं फल की चौड़ाई 02 उंगल मुठ की लम्बाई करीब 06 उंगल जो कि इंच में नहीं होने से इसके आकार को लेकर कोई प्रमाणिक धारणा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त आर्टिकल ए की छुरी मौके पर ही सील की गई हो और सील करने के पश्चात् नमूना सील, जप्ती पत्रक पर अंकित की गई हो यह विवरण विवेचक ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं किया है। साक्षी जनैश पटले ने जहाँ मुख्यपरीक्षण में आरोपी के आधिपत्य से छुरा जप्त होने की बात कही है वहीं प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जप्तशुदा आर्टिकल ए का चाकू मौके पर पुलिस ने जप्त नहीं किया था। प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र साक्षी जनैश पटले (अ.सा.2), लखन (अ.सा.1), राजेन्द्र चौधरी (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि किराना दुकान में आरोपी ने सामान लिया और पैसे मांगने पर स्वयं को पुलिसवाला बताया। उसके द्वारा थाना बिरसा सूचना भेजी गई। जबकि विवेचक राजधर दुबे ने इस प्रकार से सूचना प्राप्त होने का उल्लेख अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं किया है। साक्षी लखन, जनैश पटले के अनुसार उन्होंने आरोपी को पकड़ कर रखा था और पुलिस को बुलवाया था जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी को घेराबंदी कर पकड़े जाने का उल्लेख किया गया है। यह बात भी विवेचक ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में स्पष्ट नहीं की है।

10— साक्षी लखन (अ.सा.1) का अपने प्रतिपरीक्षण में कहना है कि आरोपी को पकड़ने पर आर्टिकल ए की छुरी जप्त नहीं हुई थी क्योंकि उसने आर्टिकल ए की छुरी एवं आरोपी को पुलिस आने के पूर्व ही पकड़कर रखा था। ऐसी स्थिति में घटना के संबंध में अभियोजन साक्षीगण के न्यायालयीन कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा छुरी आर्टिकल ए की मौके पर नाप न करने से एवं उसे उचित प्रकार से सीलबंद न करने से छुरी के निषेधित होने के विषय में भी धारणा नहीं की जा सकती। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा आयुध अधिनियम की धारा-25(बी) का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा-25(बी) में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया

जाता है।

11— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— आरोपी अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया है, उसके जेल वारंट पर टीप अंकित की जावे कि यदि उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जावे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का छुरा मूल्यहीन होने से विधिवत् रूप से नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk {kfjr o
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर,
दिनांक-28.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट